



## केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मु0)

Kendriya Vidyalaya Sangathan (Hq.)  
18, संस्थागत क्षेत्र, शाहीदजीतसिंहमार्ग  
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg  
नई दिल्ली-110016 New Delhi - 110016  
टेलीफोन 011-26858570 ई-मेल E-mail:  
rps.kvshq@gmail.com  
वेबसाईट Website: http://kvsangathan.nic.in

### **Filling the post of Deputy Commissioner in Kendriya Vidyalaya Sangathan through Direct Recruitment**

Kendriya Vidyalaya Sangathan, an autonomous organization under the Ministry of Education, Govt. of India invites applications for the post of Deputy Commissioner in Kendriya Vidyalaya Sangathan through direct recruitment in the Pay Level - 12(Rs.78,800-2,09,200/-) plus allowances as applicable to KVS. The details of vacancies to be filled through direct recruitment are as under:-

Post	UR	EWS	OBC	SC	ST	Total	OH	VH	HH
Deputy Commissioner (Group-A)	05	-	02	01	-	08	-	-	01

#### **Essential:**

1. At least a Second Class Master's Degree.
2. B.Ed. or equivalent degree.
3. 05 years' regular service as Assistant Commissioner.

OR

08 years' experience as Assistant Commissioner and Principal together with minimum 01 years' experience as Assistant Commissioner(Both Principal as well as Assistant Commissioner are in the same band of Rs. 15,600-39,100+Grade Pay Rs. 7600 pre-revised)/(Level-12, Rs. 78,800 to Rs.209200 as per 7th CPC).

**Desirable:** Working knowledge of Hindi and English.

Experience in directing in-service training programmes for teachers and administrators and/or research in education.

**Age Limit:** 50 year's (on the last date of submission of application). No age bar in case of employees of Kendriya Vidyalaya Sangathan. Age relaxation for OBC/SC/ST/PH/ EX-SERVICEMAN as applicable under the Govt. of India Rules would be applicable.

1. The applications shall be scrutinized and eligible candidates shall be called for interview at Delhi. Candidates are advised to check their eligibility as per terms & conditions of the advertisement before applying. No fee will be refunded if the candidate is found ineligible at any stage. The decision of KVS shall be final in this regard.

2. No TA/DA will be paid to the candidates for appearing in the interview.

3. The officer selected will be posted in Kendriya Vidyalaya Sangathan Headquarters / various Regional Offices/ Zonal Institutes of Education & Training across India.

4. Eligible candidates should submit their applications **through proper channel only** in the prescribed proforma along with a demand draft of Rs.1500/- (Rupees Fifteen Hundred only) drawn in favour of '**KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN**'payable at New Delhi (NO FEE IS REQUIRED TO BE PAID BY SC/ST/PH/Ex-SM CANDIDATES) so as to reach the Joint Commissioner (Admn.),Kendriya Vidyalaya Sangathan, 18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi-110016latest by 08-02-2021in the prescribed proforma. Advance copy will not be entertained.

**JOINT COMMISSIONER (ADMN)**

## PROFORMA

### APPLICATION FOR THE POST OF DEPUTY COMMISSIONER THROUGH DIRECT RECRUITMENT IN KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

1. Name (in Block Letters):
2. Date of Birth (Christian era) (DD/MM/YYYY):
3. Category (GEN/OBC/SC/ST/PH/EX-SM):
4. Address for correspondence (in Block Letters):
5. E-mail Address :
6. Mobile No. of the candidate :
7. Office Telephone No. :
8. Educational Qualifications (Starting from +2 stage):

Affix  
Passport  
size latest  
colour  
photograph

S.No	Name of the Examination passed	Year of Passing	% of the aggregate	Board/ University

9. Details of experience/employment in chronological order (descending from present onwards):

Sl. No.	Name of Office/ Instt./ Org.	Post held	From	To	Pay Level as per 7 <sup>th</sup> CPC & Basic Pay	Experience in directing in-service training programmes for teachers and administrators and/or research in education	Nature of duties

10. Nature of present employment, i.e., ad-hoc or temporary or permanent :
11. Whether the present post is a Cadre or an Ex-Cadre post :
12. Whether the present employment is under Central Govt. /State Govt./ Semi Govt./ Autonomous Organization of Central / State Govt. :
13. In case the present employment is held on deputation /contract basis, state  
(a) The date of initial appointment :  
(b) Period of appointment on deputation/ contract :  
(c) Name of the parent Organization/Office. :

14. Details of training courses attended :
15. If the candidate is drawing Revised scale of pay, date from which the revision took place and pre-revised scale :
16. Additional information, if any, in support of the candidate's suitability for the post (in not more than 150 words) :
17. Details of Demand Draft : DD. No.....Date  
 .....  
 Name of Bank & Branch  
 :.....

I hereby, confirm and declare that all the statements made and provided by me in this application are true, correct and complete to the best of my knowledge and belief. In the event of any material / information or part of it being found false, tampered or fabricated or suppressed at any stage, my candidature / appointment will automatically be cancelled / terminated.

Dated:.....  
 Place: .....

Signature of the candidate

Encl:

1. Demand Draft
2. Copies of certificates in support of Educational Qualifications
3. Copies of certificates in support of Experience & Training

### CERTIFICATE

Certified that the above particulars have been verified and found correct in respect of Mr./Ms..... The integrity of the officer is beyond doubt and no Disciplinary/vigilance case is pending/ contemplated against the officer.

Dated:.....  
 Place: .....

**Name & signature of the Head of Office  
 With office seal**

**GENERAL INSTRUCTIONS TO THE CANDIDATES :-**

1. The officers having regular service in substantive post in pay levels required as per eligibility conditions of the recruitment rules for Deputy Commissioner in KVS are eligible to apply. Officers getting desired level of pay under ACP/MACP/Ad-hoc are not eligible.
2. Applications which do not meet all criteria given in this advertisement and the incomplete applications will be rejected.
3. Candidate should have fulfilled all the requirements pertaining to educational qualifications and experience as on the closing date of application.
4. Candidates should not furnish any particulars that are false, tampered or fabricated or suppress any material information while submitting the certified copies / testimonials.
5. Decision of KVS in all matters regarding eligibility of the candidate, the stages at which such scrutiny of eligibility is to be undertaken, the documents required to be produced for the purpose of the interview, selection and any other matter relating to recruitment will be final and binding on the candidate.
6. The shortlisted candidates are required to bring all the original documents pertaining to Age, Qualification, Experience, Caste, etc. at the time of interview. These documents will be verified at the time of interview. If any candidate is found ineligible during the verification of the documents, he/she shall not be allowed to appear for interview.
7. Canvassing in any form will be treated as disqualification.
8. In case any dispute arises on account of interpretation in versions other than English, English version will prevail.
9. KVS reserves the right to cancel the recruitment partially / fully at any stage during the recruitment process at its discretion, which will be final and binding on the candidate.
10. Any dispute with regard to this recruitment shall be subject to the court having its jurisdiction in Delhi only.



केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मुख्यालय)  
Kendriya Vidyalaya Sangathan (HQ)  
,18 संस्थागत क्षेत्रशहीद जीतसिंह मार्ग,  
18, Institutional Area, Saheed Jeet Singh Marg  
नई दिल्ली/New Delhi 110016-  
फोन न./Phone no.26858570  
वेबसाइट/Website: [www.kvsangathan.nic.in](http://www.kvsangathan.nic.in)  
ईमेल/Email: [kvshindisection@gmail.com](mailto:kvshindisection@gmail.com)

## केन्द्रीय विद्यालय संगठन में सीधी भर्ती के माध्यम से उपायुक्त के पद की भर्ती

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, जो शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन है, के द्वारा नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मुख्यालय) कार्यालय में पे लेवल-12 (रु. 78,800/- रु. 2,09,200/-) तथा केविसं नियमों के अनुसार लागू अन्य भत्ते पर उपायुक्त के पद को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है :-

पद	अनारक्षित	ई.डब्ल्यू.एस.	ओबीसी	एससी	एसटी	कुल	ओएच	वी एच	एच एच
उपायुक्त (ग्रुप-ए)	05	-	02	01	-	08	-	-	01

### अनिवार्य योग्यताएं :

- I. कम से कम द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री
- II. बी.एड.या समकक्ष डिग्री
- III. सहायक आयुक्त के रूप में 05 वर्ष की नियमित सेवा

अथवा

सहायक आयुक्त और प्राचार्य के रूप में 08 वर्ष (जिसमें सहायक आयुक्त के रूप में न्यूनतम 01 वर्ष का अनुभव हो) चूंकि दोनों अर्थात् प्रिंसिपल और सहायक आयुक्त के पद के लिए वेतनमान एक ही बैंड अर्थात् रु. 15,600- रु. 39,100 ग्रेड पे रु.7600 पूर्व संशोधित 7वें वेतनमान के अनुसार लेवल-12 में रु. 78,800 से रु. 2,09,200 है।

**वांछनीय :** हिंदी और अंग्रेजी का कार्यसाधक ज्ञान।

शिक्षकों और प्रशासकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निर्देशित करने का अनुभव अथवा शिक्षा में अनुसंधान।

**आयु-सीमा:** 50 वर्ष (आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को लेकिन केन्द्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारियों पर आयु सीमा लागू नहीं है। ओबीसी/एससी/एसटी/ पूर्व-सैनिकों को भारत सरकार के नियमों के तहत आयु में छूट लागू होगी।

1. आवेदनों की जांच की जाएगी और योग्य उम्मीदवारों को दिल्ली में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अपनी पात्रता की जांच करें। यदि उम्मीदवार किसी भी स्तर पर अयोग्य पाया जाता है तो उनके द्वारा जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। इस संबंध में केविसं का निर्णय अंतिम होगा।

2. साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवारों को कोई टीए/डीए का भुगतान नहीं किया जाएगा।
3. चयनित अधिकारी को में केन्द्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय अथवा पूरे भारत मेंस्थित विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों आंचलिक शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में तैनात किया जाएगा।
4. योग्य उम्मीदवारों को निर्धारित प्रोफार्मा में उचित माध्यम से अपने आवेदन पत्र जमा करने चाहिए। आवेदन के साथ 'केन्द्रीय विद्यालय संगठन', नई दिल्ली के पक्षमें देयर 1500/- (केवल पंद्रह सौ रुपये) का डिमांड ड्राफ्ट संलग्न होना चाहिए (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, पूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए कोई शुल्क नहीं) आवेदन पत्र 08 फरवरी, 2021 तक संयुक्त आयुक्त (प्रशा.), केन्द्रीय विद्यालय संगठन(मुख्या.), 18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110016 तक पहुँच जाना चाहिए। अग्रिम प्रति स्वीकार नहीं की जाएगी।

संयुक्त आयुक्त(प्रशासन)

## प्रपत्र

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में सीधी भर्ती के माध्यम से उपायुक्त के पद पर भर्ती के लिए आवेदन

01. नाम(स्पष्ट अक्षरों में) :
02. जन्म तिथि :
03. श्रेणी (सामान्य/ओबीसी/एससी/एसटी/पीएच/पूर्व सैनिक):
04. पत्रव्यवहार/डाक पता (स्पष्ट अक्षरों में) :
05. ई-मेल :
06. अभ्यर्थी का मोबाइल नं. :
07. कार्यालय टेलीफोन नं. :
08. शैक्षिक योग्यता (+2 से शुरू करते हुए) :

पासपोर्ट आकार का  
नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ  
यहां चिपकाए

क्र.सं.	उत्तीर्णपरीक्षा का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक	बोर्ड/विश्वविद्यालय

09. कालानुक्रमिक क्रम में अनुभव/ रोजगार का विवरण  
(वर्तमान से शुरू करते हुए)

क्र. सं.	कार्यालय/ संस्थान/संगठन	धारित पद	से	तक	7वें सीपीसी के अनुसार पे लेवल और बेसिक पे	शिक्षकों और प्रशासकों के लिए इन-सर्विस प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निर्देशित करने का अनुभव और या / शिक्षा में अनुसंधान	कार्य की प्रकृति

10. वर्तमान रोजगार की प्रकृति अर्थात् तदर्थ या अस्थायी या स्थायी :
11. क्या वर्तमान पद काडर पद है या बाह्य काडर पद है :
12. क्या वर्तमान रोजगार केंद्रीय सरकार / राज्य सरकार / अर्ध सरकारी / केंद्र अथवा राज्य के स्वायत्त संगठन के अधीन है :
13. यदि वर्तमान रोजगार प्रतिनियुक्ति /संविदा के आधार पर किया जा रहा हो तो निम्न का उल्लेख करें :

(अ) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख :

(ब) प्रतिनियुक्ति /संविदा पर नियुक्ति की अवधि :



(स) अभ्यर्थी के मूल संगठन/कार्यालय का नाम :

14. भाग लिए गए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के विवरण :
15. यदि अभ्यर्थी संशोधित वेतनमान आहरित कर रहा है तो वह तिथि जिससे वेतन संशोधित किया गया और पूर्व संशोधित-वेतनमान :
16. पद के लिए उम्मीदवार की उपयुक्तता संबंधी अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, (150 शब्दों से अधिक नहीं) :
17. डिमांड ड्राफ्ट का ब्यौसा : डी.डी. नं.----- दिनांक .....  
बैंक एवं शाखा ...

मैं एतद्वारा पुष्टि करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में मेरे द्वारा दिए गए और उपलब्ध करवाए गए सभी कथन मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण हैं। किसी भी सामग्री जानकारी या उसके किसी भी भाग को गलत, बदलाव या मनगढ़ंत या छुपाए जाने की स्थिति में मेरी उम्मीदवारी स्वतः रद्द हो जाएगी।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

दिनांक : .....

स्थान : .....

**संलग्नक :**

1. डिमांड ड्राफ्ट।
2. शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ।
3. अनुभव और प्रशिक्षण से संबंधित प्रमाण-पत्रों की प्रतियाँ।

### प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/सुश्री/श्रीमती ..... के संबंध में उपरोक्त विवरण सत्यापित किए गए और सही पाए गए। अधिकारी की सत्यनिष्ठा संदेह से परे है और अधिकारी के विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक /सतर्कता संबंधी मामला लंबित/विचाराधीन नहीं है।

दिनांक : .....

स्थान : .....

**कार्यालय प्रमुख का नाम और हस्ताक्षर**  
**(कार्यालय मोहर सहित)**

## अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश:

1. केविस में उपायुक्त के लिए भर्ती नियमों की पात्रता संबंधी शर्तों के अनुसार अपेक्षित पे लेवल में मूल पद में नियमित सेवा देने वाले अधिकारी आवेदन करने के लिए पात्र हैं। एसीपी/एमएसीपी / तदर्थ आधार के तहत अपेक्षित पे लेवल के अधिकारी पात्र नहीं हैं।
2. इस विज्ञापन में दिए गए सभी मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले और और आधे-अधूरे आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे।
3. उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यताएं और अनुभव से संबंधित सभी आवश्यकताओं को आवेदन की अंतिम तिथि को पूरा करना चाहिए।
4. अभ्यर्थियों को अपने प्रमाणित दस्तावेजों की प्रतियाँ प्रस्तुत करते समय यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी दस्तावेज झूठा, छेड़छाड़ किया या गढ़ा हुआ न हो और न ही किसी विशेष महत्वपूर्ण सामग्री को छुपाया या दबाया न गया हो।
5. उम्मीदवार की पात्रता, भर्ती से संबंधित साक्षात्कार, चयन, पात्रता की जाँच और किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने संबंधी सभी मामलों में केविस का निर्णय अंतिम और उम्मीदवार पर बाध्यकारी होगा।
6. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों द्वारा साक्षात्कार के समय आयु, योग्यता, अनुभव, जाति आदि से संबंधित सभी मूल दस्तावेजों को लाना आवश्यक है। इन दस्तावेजों को साक्षात्कार के समय सत्यापित किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान अयोग्य पाया जाता है, तो उसे साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
7. किसी भी रूप में रिफ्रेश को अयोग्यता माना जाएगा।
8. यदि अंग्रेजी के अलावा अन्य संस्करणों/अनुवाद में व्याख्या पर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।
9. केविस को अपने विवेक पर भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर आंशिक रूप से पूरी तरह से भर्ती को रद्द करने का / अधिकार है, जो उम्मीदवार पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।
10. इस भर्ती के संबंध में कोई भी विवाद केवल दिल्ली अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय के अधीन होगा।

\*\*\*\*\*